

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 13/2020 (Bank Case)

इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम-62-63 फर्स्ट फ्लोर कनाट पेलेस नई दिल्ली-10001 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि
- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. हर्षानंद उर्फ हर्ष आनन्द
2. प्रिया उर्फ प्रिया आनन्द
पता-
 - a. 45 बी, चित्रगुप्त कोलोनी, कोटा, राजस्थान
 - b. 7 ए, शोपिंग सेन्टर, कोटा राजस्थान
 - c. एस-जे-12, तलवण्डी, कोटा राजस्थान
 - d. पंजाब स्नैक्स, 123,124- जिला सिटी सेन्टर, रॉयल पैलेस के पास, जवाहर नगर, कोटा, राजस्थान।
 - e. प्लॉट नं0 19 बी, शक्ति विहार, बोरखेडा, कोटा, राजस्थान।
3. प्रिया निवासी- वी-154-डी/1 सेक्टर-ए, भगवती विहार, डी.के.मौसूण गार्डन, वेस्ट

- अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आर्ितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002


उपस्थित

श्री अतुल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 11.02.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इण्डियाबुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता एम-62-63 फर्स्ट फ्लोर कनाट पेलेस नई दिल्ली-110001 से अप्रार्थीगण ने ऋण अनुबंध संख्या HHLKOT00283344 दिनांक 26.07.2016 को रूपये 18,59,939/- (अक्षरे: रूपये अठ्ठारह लाख उनसठ हजार नौ सौ उनचालीस मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति शक्ति विहार, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह0 लाडपुरा स्थित आवासीय भूखण्ड सं0 19-बी, नाप 625 वर्ग फुट, ख0नं0 254, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.8.2016 से प्रिया आनन्द के नाम है। को प्रार्थी बैंक कं पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 26.08.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे 18,61,806/- (अक्षरे रूपये अठ्ठारह लाख इकसठ हजार आठ सौ छः मात्र)




बकाया रकम दिनांक 26.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "टाईम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 14.09.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 27.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "टाईम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 14.09.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 27.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, तथा नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" एवं अंग्रेजी समाचार पत्र "टाईम्स ऑफ इण्डिया" में दिनांक 14.09.2019 को प्रकाशन भी कराया, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की अचल सम्पत्ति शक्ति विहार, ग्राम रामचन्द्रपुरा, तह0 लाडपुरा स्थित आवासीय भूखण्ड सं0 19-बी, नाप 625 वर्ग फुट, ख0नं0 254, जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 1.8.2016 से प्रिया आनन्द के नाम है। का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 11.02.2020 को सुनाया गया।



(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा